

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029/ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029.

अवकाश यात्रा रियारत (एल.टी.सी.) के लिए आवेदन
APPLICATION FOR SEEKING OF LEAVE TRAVEL CONCESSION (L.T.C.)

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name of the applicant (in capital letters)			
2.	पदनाम/Designation			
3.	विभाग/वर्तमान पोस्टिंग//Department/place of present posting			
4.	अवकाश का विवरण (यदि आवेदक अपने लिए एल.टी.सी. लेना चाहता है) Details of leave (in case of the applicant himself/ herself wants to avail LTC)	(a) अवकाश की प्रकृति/Nature of leave		
		(b) दिनों की संख्या/No. of days		
		(c) अवकाश की अवधि/Period of leave		
		(d) उपसर्ग अवकाश, यदि हो तो Prefix holiday/day-off, if any		
		(e) प्रत्यय अवकाश, यदि हो तो Suffix holiday/day-off, if any		
		(f) प्रस्थान की प्रस्तावित तिथि एवं समय Proposed date & time of departure		
		(g) अवकाश/एल.टी.सी. के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की प्रस्तावित तिथि//Proposed date of joining after availing of leave/LTC		
यदि केवल परिवार के सदस्यों के लिए एल.टी.सी. ले रहे हैं, तो यात्रा का माह निर्दिष्ट किया जाए/In case only family members are availing LTC, the month(s) of visit may be indicated.				
5.	अपेक्षित एल.टी.सी. (गृह नगर/भारत में किसी भी जगह) LTC required (Home Town/Anywhere in India)			
	गंतव्य स्थान/Destination			
	ब्लॉक वर्ष/Block Year			
6.	परिवार के सदस्यों का विवरण जिनके लिए एल.टी.सी. अपेक्षित है Details of family members for whom LTC is required	नाम/Name	जन्म तिथि/Date of Birth	सम्बन्ध/Relationship
7.	1) यदि उनका/उनकी पति/पत्नी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो पति/पत्नी के नियोक्ता से यह प्रमाण-पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न करना है कि अपेक्षित ब्लॉक वर्ष के लिए उन्होंने स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए वर्तमान 4 वर्ष के ब्लॉक एवं 2 वर्ष के गृह नगर ब्लॉक का एल.टी.सी. लाभ नहीं उठाया है If his/her spouse works in Government Office, a certificate from the employer of his/her spouse must be appended with this application to the effect that he/she along-with the family members for which LTC is requesting, have not availed LTC for the current 4 years block and 2 years home town block.			

7.	<p>2) यदि उनका/उनकी पति/पत्नी किसी निजी संगठन में कार्यरत हैं, तो आवेदक को यह स्व-प्रमाणित करना होगा कि उनके पति/पत्नी के नियोक्ता द्वारा एल.टी.सी. सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।</p> <p>If his/her spouse is working in Private organization, the applicant is required to self-certify that his/her spouse is not getting LTC facility from his/her employer.</p>	
8.	<p>आवेदक को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार के अन्य सदस्य यथा माता-पिता आदि उस पर पूर्णतः आश्रित हैं और उनकी मासिक आय (वजीफा या पेंशन, पेंशन में अस्थायी वृद्धि मिलाकर, लेकिन महंगाई राहत को छोड़कर) रु.9000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तथा उन्होंने अपेक्षित ब्लाक वर्ष हेतु पूर्व में कोई एल.टी.सी. लाभ प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>The applicant is required to certify that his/her other family members i.e. Mother & Father etc. are wholly dependent upon him/her and the total income does not exceed more than Rs.9000/- per month including stipend or pension, temporary increase in pension but excluding Dearness Relief and they have not availed LTC for the block year so required, earlier.</p>	
9.	<p>आवेदक को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उनके पुत्र/पुत्री बेरोजगार हैं तथा अविवाहित हैं और उन पर पूर्णतः निर्भर हैं और उन्होंने अपेक्षित ब्लाक वर्ष हेतु पूर्व में कोई एल.टी.सी. लाभ प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>The applicant is also required to certify that his/her son/daughter are unemployed and un-married and wholly depend upon him/her and they have not availed LTC for the block year so requested, on earlier occasions.</p>	
10.	<p>क्या एल.टी.सी. के साथ 10 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की आवश्यकता है? (हाँ या नहीं स्पष्ट करें)</p> <p>Whether 10 days Earned Leave Encashment is required alongwith LTC or not? (Indicate Yes or No)</p>	

नोट: एल.टी.सी. नियमों के अनुसार सास-ससुर एल.टी.सी. प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

Note: In-laws are not entitled to LTC according to LTC Rules

दिनांक/Date:

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(Signature of the applicant)

प्रमुख/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर संस्तुति/टिप्पणी सहित (यदि कोई हो)
Signature of the Chief/HOD with recommendations/remarks, if any